न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O), गुड़ामालानी
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 36 / 18
(GCMS No- 2018/00074)

वादी

1. सागा पुत्र बागा
   जाति जागीड, निवासी बाण्ड तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रावताराम पुत्र बागा
2. हनुमान पुत्र रावताराम
3. मूलाराम पुत्र रावताराम
4. तगाराम पुत्र बागा
   जाति जांगीड निवासी पवारियों का तला लीलसर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर
5. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वास्ते घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :–
1. श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादीगण – **एकतरफा**

–:: **निर्णय** ::–

दिनांक : 16.09.2022

वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 92 188 का पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम बाण्ड तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 462 रकबा 49–18 बीघा की अवस्थित है, तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम पवारियों का तला पटवार क्षेत्र लीलसर तहसील चौहटन के खेत खसरा नम्बर 543 रकबा 0–14 बीघा, खसरा नम्बर 545 रकबा 0–18 बीघा, खसरा नम्बर 743 / 534 रकबा 10–19 बीघा, खसरा नम्बर 744 / 534 रकबा 74–08 बीघा कुल रकबा 86–09 बीघा की आई हुई है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित ग्राम बाण्ड के खेत खसरा नम्बर 462 रकबा 49–18 बीघा भूमि में 1 / 2 हिस्सा वादी का तथा 1 / 2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी का कब्जा वादी को समझाया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी आराजी मौजा पवारियों का तला के खेत खसरा नम्बर 543, 545, 743 / 534, 744 / 534 की कुल रकबा 86–09 बीघा भूमि में वादी का 1 / 3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1 / 3 हिस्सा व 1 / 3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का है, जिसमें वादी का हिस्सा की 24–19 बीघा भूमि प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:54:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

संख्या 1 को बाण्ड वाली 24–19 बीघा की आराजी के बदले में काश्त कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 को सुपुर्द कर दिया है जिसमें पक्षकारान ढाणियां बनाकर निवासरत हैं तथा हाल ही में प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना आंशिक हिस्सा अपने पुत्रों को दान पत्र से सहखातेदार बनाया है।

वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवाडा आज से करीबन 40 साल पहले हो चुका है तथा बाहमी बंटवाडा अनुसार 40 वर्षों से काबिज काश्त हैं, कानूनी रूप से बंटवाडा नहीं होने से प्रतिवादीगण मौजा बाण्ड की वादी के बंट में आई भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पुत्रों ने मिलकर वादी को बेदखल करने की नीयत से अविभाजित भूमि के छोटे–छोटे कर अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने की धमकियां दी जा रही हैं तथा वादी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी की जा रही है, अतः 40 वर्षों पूर्व किये गये बंटवाडा अनुसार ग्राम बाण्ड के खेत खसरा नम्बर 462 रकबा 49–18 बीघा की आराजी का समस्त हिस्सा वादी का आवगी खातेदारी में घोषित किया जावे तथा ग्राम पवारियों का तला पटवार क्षेत्र लीलसर तहसील चोहटन के खेत खसरा नम्बर 543, 545, 743/534, 744/534 कुल रकबा 86–09 बीघा की भूमि में वादी का 3–17 बीघा अर्थात 317/8609 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का संयुक्त 1063/1721 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जावे।

वादी का वाद पत्र दिनांक 13.04.2018 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वकील वादी द्वारा दिनांक 24.08.2020 को वाद दायर करने के लगभग 2 वर्ष 4 माह पश्चात प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण करवाई गई। बाबजूद रजिर्स्ट नोटिस तलबी प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से दिनांक 15.03.2021 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादी ने वादी की मौखिक साक्ष्य में वादी स्वयं सांगा उम्र 85 साल तथा गवाह रूपाराम पुत्र मानाराम उम्र 37 साल निवासी बाण्ड को उपस्थित कर [illegible] तथा दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम बाण्ड के खसरा नम्बर [illegible] जमाबन्दी संवत् 2072–2075 प्रदर्श–01, आंशिक [illegible] ग्राम पवारियों का तला के खेत खसरा नम्बर 543, 545, 743/[illegible], 744/534 कुल रकबा 86–09 प्रदर्श–03, आंशिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श–04 एवं नामान्तरण संख्या 936 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–05 प्रदर्शित करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:54:47 IST
Reason: SelfAttested

हमने वादी के विद्वान अभिभाषक श्री रामजीवन विश्नोई की बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

दस्तावेजात, प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श-01 व प्रदर्श-2 में विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है अर्थात वादी व प्रतिवादीगण विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार हैं, प्रदर्श-03 व प्रदर्श-04 के अनुसार विवादित आराजी अविभाजित है अर्थात वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी बंटवाडा नहीं हुआ है, प्रदर्श-5 के अनुसार ग्राम बाण्ड के खसरा नम्बर 462 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 रावता द्वारा जरिये पंजीवद्ध दानपत्र से अपने पुत्रों प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को सहखातेदार बनाया है। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वादी व प्रतिवादीगण उक्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार हैं तथा भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में है। वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में गवाह वादी स्वयं द्वारा वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए माफिक इश्तदुआ वाद-पत्र खातेदारी घोषणा व बंटवाडा किये जाने का निवेदन किया है, गवाह रूपाराम पुत्र मानाराम जो 37 साल का है, ने अपने बयानों में 40 साल पूर्व हुए समझौते व मौखिक बंटवाडा के सम्बन्ध में बयान दिया है कि जबसे समझने लगा है तब से यह देखता आ रहा है कि बाण्ड के खेत खसरा नम्बर 462 रकबा 49-18 बीघा की पूरी की पूरी जमीन पर सांगाराम व उनके पुत्र का कब्जा काश्त है तथा इनके परिवार की ढाणियां बनी हुई हैं, पानी के साधन बने हैं, पक्के मकान हैं, तथा अपने बयानों में यह भी कहा है कि मुझे भली भांति जानकारी है कि सांगा ने अपने भाईयों व उनके परिवार से पवारियों का तला की जमीन से अदला बदली कर रखी है, वादी वहां काश्त नहीं करता है तथा प्रतिवादी यहां काश्त नहीं रकता है, मौजा बाण्ड की खसरा संख्या 462 की 49-18 बीघा भूमि वादी सांगा की आवगी खातेदारी में घोषित की जावे।

अब न्यायालय को तय यह करना है कि वादी ग्राम बाण्ड के खेत खसरा नम्बर 462 रकबा 49-18 बीघा की आराजी का समस्त हिस्सा वादी का आवगी खातेदारी में तथा ग्राम पवारियों का तला पटवार क्षेत्र लीलसर तहसील चोहटन के खेत खसरा नम्बर 543, 545, 743/534, 744/534 कुल रकबा [illegible] बीघा भूमि में वादी का 3-17 बीघा अर्थात 317/8609 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का संयुक्त 1063/1721 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का [illegible] हिस्सा खातेदारी में घोषित करवाने का अधिकारी है?

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:54:47 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। भूमि पैतृक या खरीदशुदा होने का कोई दस्तावेज पत्रावली पर

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में गवाह रूपाराम जो स्वयं 37 साल का है, ने कथन किया है कि आज से 40 साल पहले वादी सांगाराम ने अपने भाईयों व उनके परिवार से पवारियों का तला की जमीन से अदला बदली कर रखी है, 37 साल के व्यक्ति को 40 साल पुराने समझोते का ज्ञान कहां से व किस स्तर से हुआ इसके बारे कुछ नहीं बताया है। इससे यह प्रतीत होता है कि गवाह को पूर्ण रूप से विवादित आराजी के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है। वादी ने ग्राम बांण्ड के खसरा नम्बर 462 की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि होने का कथन किया है जिसपर वादी का कब्जा होने से वादी की आवगी खातेदारी घोषित की इश्तदुआ चाही गई है, जबकि उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में, वादी के कथनों अनुसार भूमि खरीदशुदा होने से खरीदशुदा भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है, यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के पक्ष में भूमि छोड़ना चाहता है तो वह जरिये पंजीयन स्थानान्तरण कर सकता है, राजस्व न्यायालय से खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार ग्राम पवारियों का तला पटवार क्षेत्र लीलसर तहसील चोहटन के खेत खसरा नम्बर 543, 545, 743/534, 744/534 कुल रकबा 86–09 बीघा की भूमि वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त अनुसार घोषित किये जाने की इश्तदुआ चाही है। ग्राम पवारियों की ढाणी उपखण्ड क्षेत्र चोहटन के क्षेत्राधिकार का होने से इस न्यायालय को उपखण्ड क्षेत्र चौहटन के क्षेत्राधिकार की भूमि में खातेदारी घोषणा व बंटवाडा किये जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 92, 188 के तहत दी गई व्यवस्थाओं एवं प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार वादी का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित एवं इस राजस्व न्यायालय में विचारण, क्षेत्राधिकार योग्य नहीं होने से वाद, वादी अस्वीकार कर क्षेत्राधिकार के ... खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 4/2022 को सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:54:47 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुड़ामालानी

सहायक कलक्टर गुड़ामालानी